न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 53/2016/प्रार्थना पत्र/बउनवान/गीता बाई बनाम कमला बाईवगै0
जीसीएमएस संख्या 2016/00108

1. गीताबाई उम्र 50 वर्ष पत्नि रामकुवांर
2. कलावतीबाई उम्र 45 वर्ष पत्नि हजारीलाल
3. सुनयाबाई उम्र 35 वर्ष पत्नि मदनपाल

} जाति मीना निवासी जलोदा तेजाजी तह. मांगरोल जिला बारां

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलाबाई पत्नि रामकरण
2. केदारीबाई पत्नि भंवरलाल
3. गुलाबबाई पत्नि मोतीलाल
4. सुगनाबाई पत्नि हंसराज
5. धनश्याम पुत्र भंवरलाल
6. भंवरलाल पुत्र मथुरालाल

} जाति मीणा निवासीगण जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां राजे.

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील प्रार्थीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील अप्रार्थी क्रम 1, 2, 5 व 6 : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक:07.12.2016

निर्णय दिनांक :17.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि :–

1. यह कि प्रार्थीयागण ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल की स्थायी निवासी है जिनके खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 88 खसरा नं0. 209 रकबा 2.66 हे०, खसरा नं0. 214 रकबा 0.72 हे०, (मध्य) वाके ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल में दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रार्थीयागण क्रय दिनांक 18.12.2012 से निरन्तर काबिज काश्त है जिस पर अभी फसल सोयाबीन की है तथा अब गेंहू बुआई की तैयारी है।
2. यह कि प्रार्थीगण ने यह भूमि पूर्व खातेदार से विधिवत जरिये रजि0 विक्रय–पत्र क्रय की है जिसमें से अप्रार्थी क्रम 3 ने भी जरिये रजि विक्रय–पत्र खसरा नं0. 214 रकबा 6.33 हे0, में से 0.72 हे0, (उत्तरी) दिशा में और अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने खसरा नं0. 214 रकबा 4.89 हे0, दक्षिणी दिशा जरिये रजि. विक्रय–पत्र खरीद किया है इस प्रकार खसरा नं0. 214 रकबा 6.33 हे0 विवादित लिखा जावेगा।
3. यह कि प्रार्थीयागण क्रय दिनांक से विधिवत कब्जा काश्त के आधार पर निरन्तर काश्त कार्य कर रही है लेकिन अप्रार्थी क्रम 1,2,5 व 6 प्रार्थीयागण के कब्जा काश्त में निरन्तर बिना किसी आधार के अवैध व नाजायज तरीके से परेशान कर झगड़ा फसाद करते हैं तथा पुलिस से मिलकर नाजायज परेशान करते हैं। अप्रार्थीगण के कृत्यों के कारण प्रार्थीयागण का काश्त करना मुश्किल हो गया है जो कर्ता पिलाई, धोरा रास्ता को लेकर अनावश्यक विवाद करते हैं जिससे अब संयुक्त खाता रखना संभव नहीं है।

Scanned by CamScanner

4. यह कि अप्रार्थीगण के अवैध कृत्यों के कारण अब प्रार्थीयागण अपना खाता कर्ता, पिलाई, रास्ता धोरा पृथक दर्ज करवाना चाहती है जो प्रार्थीयागण का कानूनी अधिकार है।
5. यह कि प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में व फसल बुआई में अप्रार्थी क्रम 1,2,5, व 6 आये दिन परेशान करते हैं जिनको पावन्द करवाने के प्रार्थीयागण माननीय न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की भी अधिकारणी है क्योंकि अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण की कब्जा काश्त आराजी पर कब्जा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीयागण को अपनी अचल सम्पत्ति परिवार पालन की भूमि से महरूम होना पडेगा क्योंकि अप्रार्थीगण का कृत्य अवैध व गैरकानूनी है। अप्रार्थीगण के हक व उनकी भूमि से प्रार्थीयागण का कोई लेना देना नहीं है इस कारण अप्रार्थी क्रम 1,2,5,6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाना न्याय हित में अतिआवश्यक है।
6. यह कि प्रार्थीयागण के पास अप्रार्थीगण के अवैध कृत्यों के विरुद्ध माननीय न्यायालय से सहायता प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1, 2, 5, 6 लाठी ताकत और दादागिरी के दम पर प्रार्थीया की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर आमदा है जिन्होंने दिनांक 16.11.2016 को नाजायज झगड़ा फसाद कर पुलिस से मिलकर प्रार्थीयागण केपरिवार को थाने में बिठा दिया इस कारण प्रतिवादी क्रम 1,2,5,6 को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
7. यह कि प्रार्थीयागण दिसम्बर 2012 से साधिकार खातेदार की हैसियत से अपनी कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है जिस पर अप्रार्थी क्रम 1,2,5,6 अवैध तरीकों से नाजायज कब्जा करने पर आमादा है जिसके लिए मांगरोल पुलिस से सांठ–गांठ कर ली है और पुलिस ने प्रार्थीयागणों को स्वयं खेत पर न जाने की धमकी दी है।
8. यह कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित है क्योंकि प्रार्थीगण खातेदार हैं जो दिसम्बर 2012 से काबिज काश्त है जिस पर बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है तथा अप्रार्थीगण ताकत व लाठी के बल पर आराजी पर कब्जा करने पर आमदा हैं।
9. यह कि अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण की खाता आराजी पर कब्जा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीयागण के परिवार पालन की गंभीर समस्या खडी हो जावेगी जिसकी क्षति पूर्ति भविष्य में किया जाना संभव नहीं होगा।
10. यह कि प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य दौराने बहस मौखिक निवदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि बहक प्रार्थीयागण विरुद्ध अप्रार्थी क्रम 1,2,5,6 स आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थीयागण की खाता ाराजी मुताबिक रजि. विक्रय–पत्र खसरा नं0. 209 रकबा 2.66 हे0, खसरा नं0. 214 रकबा .72 हे0, (मध्य) में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं करें न ही अपने किसी तिनिधि से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 07.12.2016 को दर्ज जिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 बावजूद ूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी ई। अप्रार्थी क्रम 2, 5 व 6 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्नानुसार :–

Scanned by CamScanner

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 रिकार्ड अनुसार सही है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 स्वीकार है लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि खसरा नंबर 214 ग्राम जलोदा तेजाजी विवादित हो, शेष विवरण विशेष आपत्तियों ने दर्ज है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 असत्य मनगएन्त व मिथ्या है। स्वयं प्रार्थीयागण का खाता संख्या पुराना 88 नया 44 स्वतंत्र खाता है और प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की तनहा खातेदार है तो फिर कौनसा बंटवारा करवाना चाहती है, स्पष्ट नहीं है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 4 अस्वीकार है। जब प्रार्थीयागण का खाता ही पृथक है तो पृथक से ही अब तक कर्ता पिलाई जमा कराती चली आ रही है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 5 अस्वीकार है, मनगढन्त एंव असत्य है। प्रतिपक्षी क्रम 2,5,6 को वादीगण की आराजी से कोई सरोकार नहीं है शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 6 अस्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 2,5,6 रिकार्डेड खातेदार आराजी है, उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 7 काल्पनिक है। मनगढन्त व असत्य है। अप्रार्थीगण की थाना मांगरोल से कोई सांठ–गांठ नहीं है। पुलिस ने धमकी दी है तो प्रार्थीगण को पुलिस के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 8 अस्वीकार है। प्रार्थीयागण का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है। आज तक अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कब्जे काश्त की आराजी में कोई दखलअंदाजी नहीं की है। प्रार्थीयागण और अप्रार्थी क्रम 2,5,6 अपने–अपने खाते दर्ज आराजी को वर्ष 2012 से ही काश्त करते चले आ रहे हैं। आज दस वर्ष पश्चात प्रार्थीयागण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से पेश किया है।
9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 9 अस्वीकार है। प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण के राजस्व खाते अलग–अलग हो चुके हैं। सभी पक्षकार अपनी–अपनी आराजी को काश्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

प्रार्थना संपूर्ण अस्वीकार है।

वेशेष कथन :–

1. यह कि खाता संख्या पुराना 88 नया 44 गब्रोम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 209 रकबा 2.66 हेक्टेयर, खसरा नंबर 214/933 रकबा 0.72 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.38 हेक्टेयर भी स्वतंत्र खातेदारी की है। इस खातेमें प्रतिपक्षी क्रम 2,5,6 का नाम दर्ज नहीं है फिर किस प्रकार प्रतिपक्षीगण को पक्षकार बनाया गया है। जब प्रतिवादी क्रम 2,5,6 का नाम ही नहीं है तो कैसे पृथक खाता कराना चाहती हैं, खाता तो पूर्व से ही पृथक है, इससे बिलकुल स्पष्ट है कि प्रतिपक्षीक्रम 2,5,6 को मात्र तंग व परेशान करने के लिए ही यह वाद पत्र पेश किया गया है जो भारी हर्जे 5000/– रूपये पर खारिज किए जाने योग्य है।
2. यह कि प्रतिपक्षी क्रम 2,5,6 अपने कब्जे काश्त की आराजी जो उनके खाते में दर्ज है, उसको ही काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण की आराजी से प्रतिपक्षीगण का कोई वास्ता नहीं है। बिना किसी ठोस आधार के प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं कराया जा सकता।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना में वर्णित किये गये हैं। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओं को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल में खसरा नं0 209 रकबा 2.66 है0, खसरा नं0214 रकबा 0.72 है0 आराजी पर मदाखलत न करने हेतु अप्रार्थी कम 1, 2, 5, 6 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने जरिये रजि विक्रय–पत्र क्रय की है जिसमें से अप्रार्थी कम 3 ने भी जरिये रजि विक्रय–पत्र खसरा नं0. 214 रकबा 6.33 हे0, में से 0.72 हे0, (उत्तरी) दिशा में और अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने खसरा नं0. 214 रकबा 4.89 हे0, दक्षिणी दिशा जरिये रजि. विक्रय–पत्र खरीद किया है।अप्रार्थी क्रम 1, 2, 5 व 6 प्रार्थीयागण के कब्जा काश्त में निरन्तर बिना किसी आधार के अवैध व नाजायज तरीके से परेशान कर झगडा फसाद करते हैं। कर्ता पिलाई, धोरा रास्ता को लेकर अनावश्यक विवाद करते हैं। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूरणीय क्षति** : यदि अप्रार्थी कम 1, 2, 5, 6द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत कर अवैध कब्जा किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र,बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1, 2, 5 व 6के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल में खसरा नं0 209 रकबा 2.66 है0, खसरा नं0 214 रकबा 0.72 है0 आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत न तो स्वयं करे न ही ऐसा अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner